न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 123 / 2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.जगदीश जाखड़ पुत्र चैनाराम
जाति जाट, निवासी जाखड़ों की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन 2.उमेदा 3.विरधा 4.हडुमान पि.लाधु
5.हेमा पुत्र अर्जन 6.खेमा पुत्र चेना 7.गुणेशा पुत्र अमरा
8.जेताराम पुत्र चेना 9.टूगी पत्नि अमरा 10.नेमा पुत्र अमरा
11.पदमा पुत्र लाधु 12.लेहरों पत्नि लाधु, जाति जाट
निवासी जाखड़ों की ढाणी, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री जगदीश पोटलिया**
विप्रार्थीगण :– **श्री पूराराम (विप्रार्थी सं. 2 से 12)**

निर्णय

दिनांक :– 13.02.2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा जाखड़ों की ढाणी (जैसार), तहसील चौहटन में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 338 रकबा 00.1781 हैक्टयर, खसरा सं. 339 रकबा 08.1746 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी का नाम जोगा पुत्र चैना दर्ज हुआ जो सही नहीं है, प्रार्थी का सही नाम जगदीश जाखड़ पुत्र चैनाराम है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का नाम भूलवंश जोगा पुत्र चैना दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों उसका वास्तविक नाम जगदीश जाखड़ पुत्र चैनाराम दर्ज है। इस प्रकार गलत रूप से अंकन किये गये नाम को प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दुरस्त कर जगदीश जाखड़ पुत्र चैनाराम दुरस्त करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण सं 2 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री पूराराम ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने नाम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार उपरोक्त दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी एवं विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया । जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के नाम का दर्ज इन्द्राज जोगा वल्द चेना के स्थान पर जगदीश जाखड़ पुत्र चेनाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया। उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना गया। उक्त दुरस्ती के संबंध में विप्रार्थी अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा जाखड़ों की ढाणी (जैसार), तहसील चौहटन के खसरा सं. 338 रकबा 00.1781 हैक्टयर, खसरा सं. 339 रकबा 08.1746 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम जोगा पुत्र चैना के स्थान पर जगदीश जाखड़ पुत्र चेनाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:15:56 IST
Reason: SelfAttested